केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 290 मंगलवार 14 मई 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

नवीन को 94.80 प्रतिशत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सी0बी0एस0ई0 के 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम आज घोषित हुए, जिसमें सरस्वती विद्या मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामबाग बस्ती के भैया नवीन ने सर्वाधिक 94.80 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।उक्त जानकारी देते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री गोविन्द सिंह ने बताया कि इस वर्ष 12 वीं की सी0बी0एस0ई0 परीक्षा में 444 छात्र–छात्राओं ने भाग लिया, परिणाम शत प्रतिशत रहा। विद्यालय के 16 छात्रों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करके विद्यालय को गौरवान्वित किया है।

चौथे चरण में कहीं कम, कहीं भारी मतदान

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का चौथा चरण सोमवार को पूरा हो गया। इसके साथ ही कुल 378 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं, गुजरात की सूरत सीट से भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। सोमवार को 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान के साथ ही कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई।

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। सोमवार शाम 5 बजे तक 62: प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में 75.66 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया, इसके बाद मध्य प्रदेश में 68.01 प्रतिशत मतदान हुआ। जम्मू–कश्मीर और महाराष्ट्र क्रमशः 35.75 प्रतिशत और 52.49 प्रतिशत मतदान के साथ फिसड्डी रहे। अन्य राज्यों में, आंध्र प्रदेश में 68.04 प्रतिशत, बिहार में 54.14 प्रतिशत, झारखंड में 63.14 प्रतिशत, ओडिशा में 62.96 प्रतिशत, तेलंगाना में 61.16 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 56.35 प्रतिशत मतदान हुआ।

शत प्रतिशत रहा जीवीएम का परिणाम:मेधावियों का बढाया हौसला

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सीबीएसई ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जिसमें जीवीएम कान्वेंट का परीक्षा फल शत प्रतिशत रहा । विद्यालय के प्रबंधक संतोष सिंह एवं प्रधानाचार्या श्रीमती श्रीमती विजयलक्ष्मी सिंह जी परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी एवं माला पहनकर मिठाई खिलाई । इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों में अंशिका मिश्रा 90.8:, गरिमा

पांडेय 89.8:, शिवानी मिश्रा 86.2:, श्रृष्टि यादव 83.8:, अभिषेक चौधरी 80.4: , श्रेया राणा 77.0:, श्रेया कश्यप 76.8:, आदित्य वर्मा 76.6:, आदित्य चौधरी 76.2:, मुख्य रहे ।

हाई स्कूल की परीक्षा में अंक अच्छे पाने वाले बच्चों में तल्हा खान 95.2:, आयुष कुमार 94.8:, शालिनी भास्कर 91.4:, आरुषि श्रीवास्तव 90.2:, अदिति पाल 90.2:, सक्षम शर्मा 90:, मुख्य रहे। इस अवसर पर राकेश, राजेश , शैलेंद्र , आदि शिक्षक एवम् शिक्षिकाए उपस्थित रहे।

वेतन रोकने, उत्पीड़न के विरोध में शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन:समस्या का निस्तारण न हुआ तो दिया आन्दोलन की चेतावनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सोमवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों और शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांगो को लेकर जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि शिक्षकों का उत्पीड़न बंद किया जाय।

ज्ञापन सौंपने के बाद संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने कहा कि जनपद में 10 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक समेत समस्त लगभग 4 हजार कर्मचारियों का वेतन रोक दिया हैं जबकि निजी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सुनियोजित रूप से संचालित किया जा रहा है। इस कारण से परिषदीय विद्यालयों को छात्र नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिये शिक्षक नहीं वरन विभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। शिक्षक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

संघ के जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने बताया कि यदि शीघ्र वेतन निर्गत न किया गया तो संघ आर–पार की लडाई लड़ने को बाध्य होगा। संघ कोषाध्यक्ष दुर्गेश

यादव ने कहा कि शिक्षकों से भवन निर्माण, चहरदीवारी, कम्पोजिट ग्रान्ट और पीएम श्री विद्यालयों के निर्माण में धन उगाही की जा रही है। इसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाय।

सौंपे ज्ञापन में कहा गया है कि जनपद में संचालित गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को किसी भी शैक्षिक सत्र में बंद नहीं कराया जाता जबकि शिक्षकों को जबरन नामांकन कराए जाने तथा वेतन बाधित कर उनका मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से अनेकों गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय लगातार खुल रहे हैं परतु किसी भी सत्र में किसी भी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया और न ही ऐसे विद्यालयों को कभी बंद कराया गया तथा उनके संचालकों पर न ही मुकदमा दर्ज कराया गया और न ही कोई अर्थदण्ड अब तक विभाग द्वारा वसूला गया है जो कि शासनादेश का पूर्णतः उल्लंघन हैं।

खंड शिक्षा अधिकारियों तथा कुछ पटल सहायकों व जिला समन्वयकों द्वारा प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक से कंपोजिट ग्रांट, अतिरिक्त कक्षा कक्ष व चाहर दिवारी वृहद मरम्मत, पीएम श्री विद्यालयों से धनराशि की मांग की जा रही है जिसके कई साक्ष्य व प्रमाण भी उपलब्ध हैं। विभाग में कार्यरत जिला समन्वयक तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा विद्यालयों की जांच कर शिक्षकों को उत्पीड़न के नाम पर नोटिस दिया जाता है तथा उनका वेतन बहाल करने के एवज में उनका आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। शासन द्वारा किसी भी शिक्षक का वेतन न रोकने का भी निर्देश है, परंतु उसका पालन विभाग द्वारा कभी नही किया जाता है। कुछ शिक्षकों का एक दिन का चिकित्सीय अवकाश भी स्वीकृत न करके खड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उसे अकारण रिजेक्ट किया जा रहा है। जबकि चिकित्सीय अवकाश व अन्य अवकाश लेना शिक्षक का अधिकार है। जनपद में कुछ ब्लॉको में बिना खण्ड शिक्षा अधिकारियों की सहमति के ही कई विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में चयनित कर लिया गया जबकि नियम विरुद्ध चयन करना शासन के नियमों की अवहेलना है।

शिक्षकों और संघ पदाधिकारियों ने चेतावनी दिया कि उपरोक्त समस्याओं पर तत्काल उचित कार्रवाई न किया गया तो जनपद के शिक्षक व संघ आंदोलन, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में राम भवन यादव, अनिल कुमार पाठक, मुरलीधर, अखिलेश पाण्डेय, अशोक यादव, ो. मुस्तकीम, सुधीर तिवारी, शिव प्रकाश सिंह, सुरेश गौड़, उमाकान्त शुक्ल, हरेन्द्र यादव, सनद पटेल, चन्द्र प्रताप पाल, अमित सिंह, मो. रूकुनुद्दीन, सन्तोष मिश्र, चन्द्रभूषण द्विवेदी, प्रताप नरायन चौधरी के साथ ही अनेक शिक्षक और संघ पदाधिकारी शामिल रहे।

राजन इण्टर नेशनल एकेडमी में सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर बढाया हौसला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सोमवार को राजन इण्टर नेशनल एकेडमी में बी.बी.एस.ई. हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट का परीक्षा परिणाम आने के बाद खुशियों का माहौल रहा। प्रबन्ध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी, कार्यकारी निदेशक संजीव पाण्डेय और प्रधानाचार्य शानू एन्टोनी ने हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट में सर्वाधिक अंक लाने वालों छात्र–छात्राओं को माला पहनाकर मिठाई खिलाते हुये उनका उत्साहवर्धन किया। सफल छात्रों ने अपने अनुभव को साझा किया। प्रबन्ध निदेशिका शिखा चतुर्वेदी ने शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम आने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि यह कुशल शिक्षकों और प्रबन्ध तंत्र के संयुक्त प्रयास का परिणाम है कि परिणाम उत्साहजनक रहा। कार्यकारी निदेशक संजीव पाण्डेय ने कहा कि परीक्षा परिणाम ने और बेहतर करने का लक्ष्य दिया है।

प्रधानाचार्य शानू एन्टोनी ने हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट का शत प्रतिशत परिणाम आने पर कहा कि हम प्रयास करेंगे कि अगले सत्र में और अच्छा परिणाम सामने आये। बताया कि राजन इण्टर नेशनल एकेडमी के छात्रों का यह पहला बोर्ड परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि आगामी सत्र में हम इससे बेहतर परिणाम दें।

लिटिल फ्लावर के छात्रों ने गढे कीर्तिमान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सोमवार को सी.बी.एस.ई. बोर्ड ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2023–24 का परिणाम घोषित किया। जिसमें लिटिल फ्लावर्स स्कूल बस्ती के छात्र–छात्राओं ने पिछले वर्ष का रिकार्ड तोड़ते हुए जिले में नया कीर्तिमान स्थापित किया। कक्षा 12वीं के 22 बच्चों ने 90: से अधिक अंक प्राप्त करके विद्यालय, शिक्षकों एवं माता–पिता का मान बढ़ाया।

कक्षा 12वीं की छात्रा रश्मि मिश्रा ने 94.60:. अंक प्राप्त करके विद्यालय में प्रथम स्थान, ऋषिता श्रीवास्तव ने 94.40:. अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं हर्षित वर्मा ने 94ः अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया । अन्य छात्र–छात्राओं में क्रमशरू उन्नति 93.80:, सरगम द्विवेदी 93.80:, ओम जयसवाल 93.60:, साक्षी मित्रा 93.40, आकृति सिंह– 93.20:, रिया सिंह– 92.60:, निहिता गुप्ता 92.60:, नमन शुक्ल 92.40::, सर्वेश कुमार गुप्ता 92.20:, अमन यादव 92:, जान्हवी शाही 92:, निखिल चौधरी 91:, हर्ष जयसवाल 91:., वैभव कौशल 91:., अहमद जिया इकबाल 90.91:, कीर्ति मिश्रा–90.60:, कुशाग्र श्रीवास्तव 90.40:, स्वेक्षा सिंह 90.40:, अमन शुक्ला ने 90: अंक प्राप्त किया।

कक्षा 12वीं की परीक्षा में रिया सिंह ने राजनीति शास्त्र में 100 अंक, हर्षित वर्मा, उन्नति, मुहम्मद जिया इकबाल ने रसायन विज्ञान में क्रमशरू 99 अंक प्राप्त किया। सरगम द्विवेदी, नमन शुक्ला, जान्हवी शाही ने राजनीतिशास्त्र में 99 अंक प्राप्त किया।

कक्षा–10वीं परीक्षा में विद्यालय के 44 वच्चों ने 90: से अधिक अंक प्राप्त किया। कक्षा 10वीं की परीक्षा में विभोर श्रीवास्तव ने 96.80: अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, पूजा यादव 96.40:. अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान तथा अनंत कुमार ने 96.20: अंक प्राप्त कर विद्यालय में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर विद्यालय परिसर में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी एवं प्रधानाचार्या श्रीमती अपर्णा सिंह जी ने बच्चों को माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका उत्साह – वर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना किया।

इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह जी अपने संबोधन में कहा कि "यह परिघ्णाम बच्चों के अथक परिश्रम का परिणाम है। एक दिन के परिश्रम से सफलता नहीं मिलती, लगातार परिश्रम करने से सफलता एक दिन अवश्य मिलती है।"

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्री मती अपर्णा सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा "शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन व्यक्ति को सफल एवं महान बनाते हैं, इसलिए हमें सदैव संस्कारित एवं अनुशासित जीवन जीना चाहिए"।

इस अवसर पर बच्चों एवं अभिभावकों ने इस सफलता का श्रेय शिक्षकों एवं विद्यालय परिवार को दिया तथा शिक्षकों ने बच्चों के परिश्रम को दिया। अभिभावकों ने विद्यालय परिवार एवं शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बस्ती जैसे शहर में लिटिल फ्लावर्स स्कूल एक ऐसा उत्कृष्ट संस्थान हैं, जहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है।

इस स्वागत समारोह के अवसर पर मगहफूर अहमद, आशुतोष पाल, हिमांशू, गौरव शर्मा, तपन घोष, रमाकांत द्विवेदी, तन्मय पाण्डेय, स्वाति श्रीवास्तव, संध्या तिवारी, संजय जयसवाल, श्रीकांत, अरुण भट्ट, तैयब हुसैन, संदीप सिंह आदि शिक्षक–शिक्षिकाओं सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

शत प्रतिशत रहा उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी का परीक्षा परिणाम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी सी०बी०एस०सी० बोर्ड बस्ती इण्टरमीडिएट 2024 का परीक्षा परिणाम विगत वर्षो की भांति शत् प्रतिशत रहा हैं। विद्यालय के विज्ञान वर्ग तथा वाणिज्य वर्ग के छात्र , छात्राओं का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा हैं। जिसमें विद्यालय की छात्रा शिखा यादव ने विद्यायल में पहला स्थान प्राप्त किया। जिसमें शिखा यादव 94, शिवांगी गुप्ता 92.2, शिवांगी चौधरी 92, श्रिया श्रीवास्तव 91.2, अर्चिता91, हफ्सा अनवर 91, प्रज्जवल दीप सिंह 89,रक्षिता 88, शिवम् गुप्ता 87, केरुल गुप्ता 86, चन्दन भट्ट 85,नन्दनी वर्मा85, इशु सिंह 84, अन्नत पाण्डेय84, अंजली पटेल 84,शाहिना खातून 84,दिशा पाण्डेय 82.2,अर्पिता सिंह 82.2, अभय सिंह82, लवन्या भाटिया81.4 फीसद अंक प्राप्त किया। विद्यालय के प्रबन्धक धीरेन्द्र शुक्ल, प्रबन्ध निदेशक विनय शुक्ल, प्रधानाचार्या शशिप्रभा त्रिपाठी, शिक्षकगण संजय प्रजापति, अभिनय प्रकाश पाण्डेय, वकील चौधरी, अभय राजपूत, जितेन्द्र गौड़, वशीधर शुक्ला, अपूर्वा त्रिपाठी, नम्रता त्रिपाठी, कमलोज मिश्रा, पूजा उपाध्याय, आदि ने सभी सफल छात्रध्छात्राओं को उनकी सफलता पर बधाई दी हैं। तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की हैं।

सेन्ट्रल एकेडमी के छात्रों ने हाई स्कूल, इण्टर में बनाये सफलता के कीर्तिमान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सोमवार को सी.बी.एस.ई. ने हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट का परिणाम घोषित किया। इसमें सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल का परीक्षा परिणाम शत प्रतिशत रहा। निदेशक जे.पी. तिवारी और प्रधानाचार्य दीपिका तिवारी ने बताया कि हाई स्कूल में मोहम्मद रेहान हाशमी ने 94 प्रतिशत, सनोबिया रहमान 90.2, जुरेज अहमद 90.6, अफीफा रहमान 85, संध्या यादव, 81.8, पवन राजभर 72, अंशिका 71.8, सृष्टि 69.9 और आयशा ने 65 प्रतिशत अंक अर्जित किया। इसी कड़ी में इण्टर मीडिएट में आदित्य सिंह 90 प्रतिशत, गरिमा पाण्डेय 87.5, श्वेता प्रजापति 80.8, अनुष्का वर्मा 77.7 और प्रज्जवल प्रताप सिंह ने 78.1 अंक अर्जित कर विद्यालय का गौरव बढाया।

शिक्षकों और अभिभावकों को बेहतर परीक्षा परिणाम दिलाने का श्रेय देते हुये निदेशक जे.पी. तिवारी ने कहा कि पिछले 25 वर्षो से सेन्ट्रल एकेडमी सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल का उद्देश्य सदैव छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का रहा है। बताया कि सर्वाधिक अंक पाने वाले छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जायेगा। सेन्ट्रल एकेडमी के छात्रों ने एक बार फिर सफलता के कीर्तिमान बनाये हैं।

इण्डियन पब्लिक स्कूल के अर्पित को 97 प्रतिशत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । इण्डियन पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल के छात्र अर्पित ने 97 फीसद अंक लाकर विद्यालय का मान बढ़ाया है। विद्यालय की निधि 93, अपूर्वा 92, आयशा त्रिपाठी 92 फीसद अंक प्राप्त किया है।

वहीं इण्टरमीडिएट में मधु ने 92, प्राची शुक्ला ने 88.4, मयंक मोदनवाल 86, जरीन जावेद ने 85 फीसद अंक प्राप्त किया है। छात्रों की उपलब्धि पर विद्यालय परिवार के साथ ही डायरेक्टर कैलाश नाथ दुबे ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

जमीनी विवाद में मारा पीटा: एसपी से लगाया न्याय की गुहार

भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज थाना क्षेत्र के ठुकठुईया निवासी पन्नेलाल पुत्र स्वर्गीय जगनेवास ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर जमीनी विवाद में न्याय दिलाने और दबंगों से अपने परिवार के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है। एसपी को दिये पत्र में पन्नेलाल ने कहा है कि उसका मकान बैनामा शुदा जमीन गाटा संख्या 65 में स्थित है। गांव के ही बब्लू यादव पुत्र राम प्रसाद, रामनेवास, जगनेवास, श्रीराम पुत्रगण राम प्रसाद, पंकज, धीरज पुत्रगण श्रीराम आदि गत 11 मई को जबरिया नींव खोदने लगे। जब उसकी बहन मंजू और पत्नी सुधा ने नींव खोदने का विरोध किया तो वे गालियां देने लगे। उक्त लोगों ने पुलिस बुला लिया और पुलिस ने हम लोगों को उल्टे धमकियां दी और पन्नेलाल, मंजू देवी और सुधा को दो छोटे बच्चों समेत लालगंज थाने पर लेकर चले गये और तरह–तरह की धमकियां देने के साथ ही शांति भंग में कार्रवाई कर दिया। वे जमानत के बाद घर आये। पत्र में पन्नेलाल ने कहा है कि बब्लू यादव आदि पुलिस को अपने पक्ष में करके जबरिया उनकी जमीन पर कब्जा कर लेने चाहते हैं । उन्होने अपने परिवार के जान माल के रक्षा के साथ ही जमीन की पैमाइश कराकर विवाद का निस्तारण कराने का आग्रह किया है।

अपराइज टयुटोरियल्स के छात्र–छात्राओं को मिठाई खिलाकर बढाया हौसलाः शत प्रतिशत रहा परिणाम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । अपराइज टयुटोरियल्स के छात्र–छात्राओं ने सीबीएसई हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट में सफलता का कीर्तिमान बनाया। सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर निदेशक और शिक्षकों ने प्रसन्नता व्यक्त किया।

निदेशक विवेक वर्मा, अरूण कुमार और ऋषभ राज बताया कि हाई स्कूल के परीक्षा परिणामों में हरिओम चतुर्वेदी ने शहर में सर्वाधिक 98 प्रतिशत और हमजा अनीस अंसारी 93.2, आदर्श यादव 92, सचिन चौधरी 92, और मोनिका चौधरी ने 90.6 प्रतिशत अंक प्राप्त किया।

इण्टर मीडिएट में आर्यन कुमार 89.4 प्रतिशत, शुभम यादव 79, पलक उपाध्याय 76, समीक्षा पटेल 74.8, सचिन यादव ने 74 प्रतिशत अंक प्राप्त किया। सफल छात्रों को मिठाई खिलाकर खुशियों को साझा करने वालों में मुख्य रूप से अपराईज परिवार के प्रधानाचार्य सतिराम, अभिषेक मिश्रा, अनीता चौधरी, त्रिपुंज्य पाण्डेय, अहमदुल्लाह सिद्दीकी, सिमरन वरनवाल, मनीष कुमार, विनीत सिंह, अब्दुल जफर, अंगद निषाद, मनीष कुमार माझी, सुवोधकान्त मिश्र, श्यामजी, मिथिलेश कुमार, राजेश कुमार, विपिन, अजय कुमार, छोटू, आशीष आदि ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।

सीडीए एकेडमी विद्यालय मथौली के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा मे दिखाया दम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । सीबीएसई में सर्वाधिक अंक पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय परिवार ने मिठाई खिलाकर शुभकामनाए दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सोमवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सीडीए एकेडमी विद्यालय मथौली के चेयरमैन इं 0अरविंद पाल व निर्देशिका डां० अरूणा पाल सहित शिक्षकों ने सर्वाधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की ।

विद्यालय की निर्देशिका डा0 अरूणा पान ने बताया कि 12 वी में 90 : से ऊपर आंचल तघ्पिाठी 90.8: , आयूष शोनी 95 .2: , नौमिका गुप्ता 91.2 : ,आदर्श शुक्ला 90.8 :, श्रीयांश श्रीवास्तव 90: ,है तथा 80: से ऊपर 19 , बच्चे हैं तथा हाईस्कूल में बेटियों ने बाजी मारी , प्रियांशी अगघ्हरि 94:, उमदे कूल्शूम 90: , आंशिका गिरी 90:, मृत्यूंजय 90.4:, रूदघ्श पांडेय 92 : सहित 100 बच्चे 80 : से 90 के बीच में हैं।

श्री पब्लिक स्कूल के छात्रों ने बनाये कीर्तिमान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । श्रीराम पब्लिक स्कूल के निदेशक राजेश चौधरी ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम सराहनीय और शत प्रतिशत है। हाई स्कूल में हरिओम चतुर्वेदी 98, उजमा खातून 95.6, आदर्श बरनवाल 93.8, हिमाशु चौधरी 93.4 और इण्टर मीडिएट में सदानन्द वर्मा 96.4, अंशिका चौधरी 95.4, पुष्कर सावलानी 95.4 और श्रद्धां गुप्ता को 94.2 प्रतिशत अंक मिले।

सीबीएसई 10वीं में अंजनी, स्तुति, सलोनी ने लहराया परचम

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दसवीं और बारहवीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी किए गए हैं। दसवीं के परिणाम में अंजनी पाण्डेय ने 95.6, स्तुति ओझा ने 93.4, सलोनी गुप्ता ने 92 प्रतिशत अंक पाकर बाजी मारी है। अंजनी, स्तुति और सलोनी ने अपने मेहनत के दम पर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। शहर स्थित सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग की छात्रा तथा बभनान कस्बे की निवासी अंजनी पाण्डेय की लगन और मेहनत का परिणाम देखकर परिवार, शुभचिंतकों और शिक्षकों में खुशी की लहर है। परिषदीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक अंजनी के पिता अजय पाण्डेय ने बताया कि बिटिया की मेहनत और पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने का पूरा भरोसा था। अंजनी ने अपने सफलता का श्रेय अपने परिवार और शिक्षकों को देते हुए बताया कि उनका सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करना है। स्तुति ओझा और सलोनी गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवारजनों और शिक्षकों को देते हुए बताया कि वह दोनों आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हैं जिसके लिए पूरी मेहनत से लगी हुई हैं।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती

बस्ती 14 मई 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

दहेज प्रथा और झूठे मुकदमें

सदियों से प्रचलित दहेज प्रथा कानूनन निषेध होने के बावजूद आज भी देश के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, वहीं दहेज निषेध अधिनियम का दुरुपयोग एक अन्य चिंताजनक मुद्दा बनकर उभरने लगा है। एक तरफ वे लोग हैं जो वैवाहिक बंधन के नाम पर सरेआम सौदेबाजी करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ते, तो दूसरी ओर समाज में एक ऐसा स्वार्थी वर्ग पनप रहा है, जो कानून का दुरुपयोग करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। गत माह ही एक महिला पुलिस अधिकारी ने पति के विरुद्ध एक राज्य से दूसरे राज्य में दहेज उत्पीडन का झूठा मुकद्दमा दर्ज कराया। इस प्रवृत्ति पर कड़ाईपूर्वक संज्ञान लेते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने महिला पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें से अढ़ाई लाख रुपए बतौर हर्जाना पति को देने का निर्देश दिया। जनवरी माह के दौरान, पंजाब के कपूरथला में पुलिस ने ससुराल पक्ष को दहेज के झूठे मामले में फंसाने पर लड़की के पिता को पकड़ा। मां–बेटी सहित चार पर केस दर्ज किया गया।

झूठे मुकद्दमों की अनवरत बढ़ती संख्या पर गहन चिंता प्रकटाते हुए हाल ही में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 तथा 86 (पूर्व धारा 498–ए) में आवश्यक बदलाव लाने पर विचार करने को कहा, चूंकि बहुतेरी शिकायतें घटना के अतिरंजित बयानों से युक्त होती हैं। उक्त टिप्पणी एक महिला द्वारा अपने पति के विरुद्घ दायर झूठे दहेज उत्पीडन मामले को रद्द करते समय की गई। महिला द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पति एवं उसके पारिवारिक सदस्यों ने कथित तौर पर दहेज की मांग की तथा उसे मानसिक व शारीरिक आघात पहुंचाया। पीठ के मुताबिक, एफ. आई.आर. तथा आरोप पत्र पढने पर महिला द्वारा लगाए गए आरोप काफी अस्पष्ट, सामान्य तथा व्यापक लगे, जिनमें आपराधिक आचरण का कोई उदाहरण नहीं दिया गया था। दरअसल, दहेज उन्मूलन कानून का दुष्प्रयोग विगत कुछ वर्षों से विद्रूपतम स्तर पर जा पहुंचा है। ऐसे मामले भी देखने में आए, जहां संपत्ति विवाद अथवा अन्य पारिवारिक कारणों के चलते ससुराल पक्ष से संबद्ध किसी व्यक्ति पर दुष्कर्म के मिथ्यारोप जड़ दिए गए। विगत वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा ससुराल पक्ष पर लगाए गए झूठे दहेज उत्पीडन एवं दुष्कर्म आरोपों को 'घोर क्रूरता' बताते हुए अक्षम्य करार दिया था।

निश्चय ही, दहेज प्रथा समूचे समाज के लिए अभिशाप है। इसके कारण अनेक बेटियों को मानसिक, शारीरिक अथवा सामाजिक उत्पीडन का सामना करना पड़ता है। आई.पी.सी.–1860 के सामान्य प्रावधान को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही सन् 1983 को इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए जोड़ी गई, जिसे धारा 85–86 के तहत अधिक विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अंतर्गत, किसी महिला के पति अथवा पति के संबंधी द्वारा महिला के प्रति क्रूरता बरतने पर तीन वर्ष की कैद की सजा तथा जुर्माना लगाने का प्रावधान है। धारा 86 में क्रूरता को परिभाषित किया गया है, जिसमें महिला का मानसिक–शारीरिक उत्पीडन, दोनों शामिल हैं।

कानून दुरुपयोग के संदर्भ में न्यायिक संस्थानों की चिंता कतई निराधार नहीं, वर पक्ष के लिए यह गले की फांस बन सकता है। कानपुर से संबद्घ एक झूठे दहेज हत्या मुकद्दमे में विवेचक की लापरवाही के चलते पति व सास–ससुर के विरुद्घ चार्जशीट कोर्ट भेज दी गई। विवेचना संबंधी खामियां उजागर होने पर अपर जिला जज ने पति व सास–ससुर को दोषमुक्त करार दिया। फैसला आने तक पति 2 वर्ष का कारावास काट चुका है। मुकद्दमेबाजी से लेकर बरी होने तक की कानूनी प्रक्रिया के दौरान न केवल पूरे परिवार को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, अपितु शारीरिक–मानसिक स्थिति के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कथित तौर पर, पत्नी द्वारा दहेज उत्पीडन मुकद्दमा दर्ज करवाने पर गत वर्ष राजधानी के नाका हिंडोला निवासी 45 वर्षीय राजेश जायसवाल ने मानसिक दबाव के चलते आत्महत्या कर ली थी। बाराबंकी के विकास ने भी आई.पी.सी. की धारा 498–ए का मुकद्दमा लिखे जाने तथा ससुरालजनों द्वारा प्रताडिघ्त किए जाने पर मौत को गले लगा लिया।

संवेदनात्मक स्तर पर आहत व्यक्ति आत्मघात की ओर उन्मुख होने लगे तो समूचे समाज व व्यवस्था के लिए एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। किसी भी प्रकार का संत्रास झेलना यद्यपि सरल नहीं, तथापि विषम परिस्थितियों से हारकर जीवन का अंत करना क्या उचित है? कदापि नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करना ही पड़े तो पत्नी द्वारा झूठे केस में फंसाने संबंधी दी गई धमकी को चौटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग अथवा मैसेज आदि के रूप में सुरक्षित रखना मतिपूर्ण होगा। ठोस प्रमाण होने के नाते ये त्वरित जमानत दिलाने में सहाई बन सकते हैं। पत्नी द्वारा दहेज मामले में फंसाने की धमकी देकर घर छोडने पर वैवाहिक अधिकारों की प्रतिस्थापन धारा–9 के तहत, उसे अपने पास बुलाने हेतु न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। पति के पक्ष में यह पुख्ता सबूत होगा कि पत्नी अपनी इच्छानुसार घर छोड़कर गई है। निःसंदेह, महिलाओं का सम्मान–सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दहेज उन्मूलन कानून का कठोरतापूर्वक लागू होना अत्यावश्यक है, किंतु निहित स्वार्थवश अथवा विद्वेष के चलते कानूनी प्रावधान को प्रहार के रूप में प्रयुक्त करना पूर्णतरू अनैतिक है। कानून का ध्येय यदि अपराधियों को दंडित करना है तो निर्दोषों का सम्मान बरकरार रखना भी उसके दायित्व के अंतर्गत आता है। कानून किसी अपराधी को समुचित दंड न दे पाए अथवा कानून की आड़ में किसी निरपराध को दंड भोगना पड़े, दोनों ही स्थितियां सामाजिक विकास में बाधक हैं। कानून की धारा, जिसका इस्तेमाल एक वर्ग की रक्षार्थ किया जाना हो, यदि हथियार बनकर दूसरे वर्ग पर वार करने लगे, तो ऐसे में समग्र सामाजिक उत्थान की संकल्पना भला कैसे संभव है?

मुसलमानों के आरक्षण पर गरमाई राजनीति

–अभिनव आकाश–

आरक्षण एक ऐसा शब्द जिसकी स्थापना हमारे समाज में समानता को स्थापित करने के प्रयास के लिहाज से की गई थी। जिसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जाए ऐसी कोशिश की गई। लेकिन जब इसी शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है तो ये अपने मूल्य उद्देश्यों को अपनी मूल भावना को खो देता है और यही से विवाद का भी जन्म होता है। जातीय व्यवस्था ऊपर से जितनी सरल दिखाई देती है अंदर से ये व्यवस्था उतनी ही ज्यादा जटिल है। जब पूरी व्यवस्था में धर्म का आयाम जुड़ जाता है तो पूरी व्यवस्था और ज्यादा जटिल हो जाती है। चुनाव के माहौल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक विवाद का जन्म हुआ है। ऐसे में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का मामला फिर से सुर्खियों में आया है। भारत आरक्षण के इर्द–गिर्द बुनियादी संवैधानिक सवालों पर बहस कर रहा है। क्या भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित आरक्षण हो सकता है? क्या कभी मुसलमानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोटा कम करके आरक्षण दिया गया है? क्या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण जो केवल कुछ धार्मिक संप्रदायों तक सीमित है, धर्म के आधार पर आरक्षण के बराबर है?

एक लंबी चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि धर्म के आधार पर आरक्षण समाज के लिए हानिकारक होगा। ई पी रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर कैद और सीमित नहीं किया जा सकता है। वास्तविक समानता का संबंध परिणामों की समानता से है। सकारात्मक कार्रवाई वास्तविक समानता के इस विचार को बढ़ावा देती है। 1949 के संविधान ने प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 296 (वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 335) से श्अल्पसंख्यकश् शब्द को हटा दिया, लेकिन अनुच्छेद 16(4) को इसमें शामिल कर दिया, जो राज्य को किसी के भी पक्ष में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 15 विशेष रूप से राज्य को केवल धर्म और जाति (लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के साथ) दोनों के आधार पर नागरिकों के खिलाफ भेदभाव करने से रोकता है। केरल राज्य बनाम एन एम थॉमस (1975) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, आरक्षण को अनुच्छेद 15(1) और 16(1) के समानता गैर–भेदभाव खंड का अपवाद नहीं माना जाता है, बल्कि समानता के विस्तार के रूप में माना जाता है।

धर्म–आधारित आरक्षण पहली बार 1936 में त्रावणकोर–कोचीन राज्य में लागू किया गया था। 1952 में इसे सांप्रदायिक आरक्षण से बदल दिया गया। मुस्लिम, जिनकी आबादी 22: थी, ओबीसी में शामिल थे। 1956 में केरल राज्य के गठन के बाद, सभी मुसलमानों को आठ उप–कोटा श्रेणियों में से एक में शामिल किया गया था और ओबीसी कोटा के भीतर 10: (अब 12:) का एक उप–कोटा बनाया गया था। मंडल आयोग की दोषपूर्ण रिपोर्ट के विपरीत, जिसमें हिंदुओं की तर्ज पर निष्कर्ष निकाला गया था कि केरल और कर्नाटक में केवल 52: मुस्लिम ओबीसी थे।

जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी (1990) की अध्यक्षता में कर्नाटक के तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने हवानूर (1975) और वेंकटस्वामी (1983) आयोग की तरह पाया कि मुसलमानों ने पिछड़े वर्गों में शामिल होने की आवश्यकताओं को पूरा किया। 1995 में मुख्यमंत्री एच डी देवेगौड़ा की सरकार ने ओबीसीकोटा के भीतर 4: मुस्लिम आरक्षण लागू किया। ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल छत्तीस मुस्लिम जातियों को कोटा में शामिल किया गया था। देवेगौड़ा की जद (एस) ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले मुस्लिम कोटा खत्म करने के बसवराज बोम्मई सरकार के फैसले की आलोचना की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोम्मई सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।

एम करुणानिधि की सरकार ने 2007 में जे ए अंबाशंकर (1985) की अध्यक्षता वाले दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक कानून पारित किया, जिसमें 30: ओबीसी कोटा के भीतर, 3.5: आरक्षण के साथ मुसलमानों की एक उप–श्रेणी प्रदान की गई। इसमें ऊंची जाति के मुसलमान शामिल नहीं थे। इस अधिनियम में कुछ ईसाई जातियों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में ईसाइयों की ही मांग पर इस प्रावधान को हटा दिया गया।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना– 112 अन्य समुदायों/जातियों के साथ मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रश्न 1994 में आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा गया था। 2004 में मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर अल्पसंख्यक कल्याण आयुक्त की एक रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने पूरे समुदाय को पिछड़ा मानते हुए 5: आरक्षण प्रदान किया। उच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर कोटा रद्द कर दिया कि पिछड़ा वर्ग के लिए एपी आयोग के साथ अनिवार्य परामर्श नहीं किया गया था। यह भी माना गया कि अल्पसंख्यक कल्याण रिपोर्ट कानून की दृष्टि से खराब थी क्योंकि इसमें पिछड़ेपन का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड नहीं रखा गया था। हालाँकि, अदालत ने माना कि ष्मुसलमानों या उनके वर्गोंध्समूहों के लिए आरक्षण, किसी भी तरह से धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है। एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1962) पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि मुसलमानों या उस मामले के लिए ईसाई और सिख आदि को अनुच्छेद 15(4) या 16(4) के तहत लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बाहर नहीं रखा गया है। एम आर बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहारू यह संभावना नहीं है कि कुछ राज्यों में समूह बनाने वाले कुछ मुस्लिम या ईसाई या जैन सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। .यद्यपि हिंदुओं के संबंध में जातियाँ नागरिकों के समूहों या वर्गों के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने में विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकती हैं, लेकिन इसे उस संबंध में एकमात्र या प्रमुख परीक्षण नहीं बनाया जा सकता है।

न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति (2006) ने पाया कि समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय लगभग एससी और एसटी जितना ही पिछड़ा है और गैर–मुस्लिम ओबीसी की तुलना में अधिक पिछड़ा है। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति (2007) ने अल्पसंख्यकों के लिए 15: आरक्षण का सुझाव दिया, जिसमें मुसलमानों के लिए 10: आरक्षण शामिल था। इन दो रिपोर्टों के आधार पर यूपीए सरकार ने 2012 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें 27: के मौजूदा ओबीसी कोटा के भीतर अल्पसंख्यकों को 4.5: आरक्षण प्रदान किया गया। चूंकि यह आदेश यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था, इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार से इसे लागू नहीं करने को कहा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया। वहीं ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

समाज से असमानता दूर करने की चुनौती

–मंगत राम पासला–

वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य हासिल करना, अर्थात बराबरी के उसूलों पर आधारित ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें असमान बांट का खात्मा करके समाज द्वारा की गई कुल पैदावार की मलकीयत सारे समाज की हो, काफी मुश्किलों भरा, लम्बा तथा टेढ़ा–मेढ़ा रास्ता है। अतीत में मानवीय इतिहास के विभिन्न पड़ावों के जब भी किसी सामाजिक क्रांति का उदय हुआ, तब हार जाने के बावजूद लुटेरे वर्गों ने हर बार नया नकाब पहन कर सत्ता पर पुनरू कब्जा कर लिया। परिणामस्वरूप लूटे गए वर्ग भारी कुर्बानियों के बावजूद सत्ता से वंचित तथा साधन विहीन ही बने रहे तथा नए दौर की नई गुलामी में प्रवेश कर गए।

मगर महान विज्ञानी, दार्शनिक तथा इंकलाबी कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी दौर में इस प्रक्रिया का भेद खोलते हुए घोषणा कर दी कि पूंजीवाद की समाप्ति के बाद मुख्य पैदावारी शक्ति अर्थात मजदूर वर्ग, मजूदरों–किसानों की एकता बनाकर एक नई किस्म का सामाजिक बदलाव लाएगी, जहां सत्ता तथा मजदूर वर्ग का कब्जा होगा। इसी को ही सांझीवालता वाला समाज (समाजवाद) कहा जाता है, जहां मनुष्य के हाथों ही मनुष्य की लूट–खसूट का खात्मा करके पैदावारी शक्तियों के पास विकास के विशाल अवसर उपलब्ध होंगे। पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा करने के लिए मजदूर वर्ग तथा दूसरे सहयोगियों ने मुख्य रूप से आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों को अपना मूल आधार बनाया।

जातिवादी व्यवस्था में केवल तथाकथित ऊंची जातियों से संबंधित लोगों की मानसिकता ही पीड़ितों (कथित नीची जातियों के लोग) का उत्पीडन नहीं करती बल्कि यह इस सामाजिक बुराई के शिकार लोगों में भी जात–पात आधारित विभाजन को और भी गहरा करती है। एक पिछड़ी तथा अछूत समझी जाती जाति के लोग उसी उत्पीडन का शिकार किसी दूसरी जाति के अपने ही भाइयों से दुश्मनी भरा व्यवहार धारण कर लेते हैं। इसलिए आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न पीड़ित जातियों के लोगों में अनेकों वाद–विवाद तथा मतभेद खड़े हो जाते हैं। यह भी याद रखने योग्य है कि जातिवादी सोच, कथित नीची तथा अछूत समझी जाती जातियों के मेहनतकश लोगों के उच्च जातियों से संबंधित मजदूरों के प्रति जमाती मित्रता वाला व्यवहार अपनाने के रास्ते में रुकावट बन जाती है तथा समस्त मजदूर वर्ग के असली गुनाहगार इस विभाजन का पूरा–पूरा लाभ लेकर अपने हितों को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।

मगर भारत में पूंजीवादी तथा जागीरी लूट–खसूट वाले मौजूदा शासन प्रबंध को जड़ से उखाड़ कर सामाजिक बदलाव के माध्यम से नया ढांचा (समाजवाद) खड़ा करने के लिए आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्षों के साथ–साथ कुछ अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि यहां सामाजिक बदलाव के लिए जूझ रही शक्तियों को कमजोर करने तथा मजदूर लोगों को गुमराह करके अपने पीछे लामबंद करने के पूंजीवादी तथा जागीरी लुटेरू वर्गों के पास कई अन्य साधन व तरीके हैं। जातिवादी व्यवस्था, जो जागीरदारी युग की उपज कही जा सकती है, सरमायदारी ढांचे में भी आम लोगों की मानसिकता को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। समय तथा ठोस अनुभवों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जातिवादी भेदभाव का मसला पूंजीवादी विकास के दौरान भी खत्म नहीं होता, बेशक सैद्धांतिक रूप में पहले–पहल ऐसा समझ लिया गया था। इस अमानवीय व्यवहार से उपजी गंदी सोच के खिलाफ, बल्कि इससे भी आगे, समाजवादी ढांचे में भी लंबे दौर की समझौता रहित राजसी तथा वैचारिक लड़ाई लडनी पड़ेगी।

जातिवादी व्यवस्था में केवल तथाकथित ऊंची जातियों से संबंधित लोगों की मानसिकता ही पीड़ितों (कथित नीची जातियों के लोग) का उत्पीडन नहीं करती बल्कि यह इस सामाजिक बुराई के शिकार लोगों में भी जात–पात आधारित विभाजन को और भी गहरा करती है। एक पिछड़ी तथा अछूत समझी जाती जाति के लोग उसी उत्पीडन का शिकार किसी दूसरी जाति के अपने ही भाइयों से दुश्मनी भरा व्यवहार धारण कर लेते हैं। इसलिए आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न पीड़ित जातियों के लोगों में अनेकों वाद–विवाद तथा मतभेद खड़े हो जाते हैं। यह भी याद रखने योग्य है कि जातिवादी सोच, कथित नीची तथा अछूत समझी जाती जातियों के मेहनतकश लोगों के उच्च जातियों से संबंधित मजदूरों के प्रति जमाती मित्रता वाला व्यवहार अपनाने के रास्ते में रुकावट बन जाती है तथा समस्त मजदूर वर्ग के असली गुनाहगार इस विभाजन का पूरा–पूरा लाभ लेकर अपने हितों को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।

भारतीय राजनीति में वर्तमान लोकसभा चुनावों में सत्ता की दावेदारी का मुद्दा दो राजनीतिक दलों में प्रतिष्ठा का कारण बन चुका है। भाजपा की अगुवाई में राजग सभी लोकतांत्रिक व संवैधानिक मर्यादाओं को छींके पर टांग कर देश को एक धर्म आधारित, गैर–लोकतांत्रिक, तानाशाही वाले राजनीतिक ढांचे में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह बाजिद है। दूसरी ओर 'इंडिया' गठजोड़ देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा संघीय उसूलों पर पहरा देते हुए देश के संविधान की मजबूती के लिए खड़ा नजर आ रहा है। मोटे तौर पर यह जंग देश में 1947 में स्थापित हुई जम्हूरियत (सरमायदारी किस्म की) को कायम रखने तथा इसकी जगह हिटलरी तर्ज का धर्म आधारित कट्टर साम्प्रदायिक–फासीवादी राज स्थापित करने के चाहवान दो राजनीतिक गुटों के बीच लड़ी जा रही है।

दोनों गठजोड़ बेशक जमाती नजरिए से तो एक–दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं परंतु देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय ढांचे की रक्षा के मुद्दे पर एक–दूसरे के अत्यंत विरोधी ध्रुवों पर खड़े हैं। एक समान जमाती हितों के पैरोकार राजसी पक्षों में सत्ता पर कब्जे की लड़ाई कितनी मुश्किल तथा खतरों से भरपूर है, इसका अनुमान भाजपा सरकार द्वारा ई.डी., सी.बी.आई., इंकम टैक्स जैसी एजैंसियों की विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ खुला दुरुपयोग किए जाने तथा चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी को तिलांजलि देते हुए शासक वर्ग की एकतरफा हिमायत करने से साफ लग जाता है।

देश की प्रमुख वामपंथी धारा ने भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठजोड़ के विरुद्ध 'इंडिया गठजोड़' के हक में उतरने का फैसला संविधान की रक्षा के लिए, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष तथा संघीय कद्रों कीमतों की मजबूती के लिए तथा बहुधर्मी व विभिन्न संस्कृतियों के मालिक लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही लिया है। बिना शक आज के इस पैंतरे से सामाजिक बदलाव की भविष्य की लड़ाई को भी बल मिलेगा।

स्वस्थ जीवनशैली से बढ़ेगी उम्र

–मुकुल व्यास–

स्वस्थ जीवनशैली उम्र पर आनुवंशिकी के प्रभाव को 60 प्रतिशत से अधिक कम कर सकती है और आपके जीवन में पांच साल और जोड़ सकती है। यह बात अच्छी तरह से स्थापित है कि कुछ लोगों में आनुवंशिक कारणों से कम जीवनकाल की प्रवृत्ति होती है। यह भी सर्वविदित है कि जीवनशैली से जुड़ी कुछ बातें, विशेष रूप से धूम्रपान, शराब का सेवन, आहार और शारीरिक गतिविधि, दीर्घायु पर प्रभाव डाल सकती हैं। अभी तक यह समझने के लिए कोई जांच नहीं हुई थी कि एक स्वस्थ जीवनशैली आनुवंशिकी को किस हद तक संतुलित कर सकती है। लेकिन अब कई–कई दीर्घकालिक अध्ययनों के निष्कर्ष सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि एक स्वस्थ जीवनशैली जीवन को छोटा करने वाले जीन के प्रभावों को 62 प्रतिशत तक कम कर सकती है और आपके जीवन में पांच साल तक बढ़ा सकती है। दरअसल, इन अध्ययनों के परिणाम बीएमजे एविडेंस–बेस्ड मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह अध्ययन जीवनकाल पर आनुवंशिक कारकों के प्रभाव को कम करने में स्वस्थ जीवनशैली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। उनका यह भी मानना है कि जीवनशैली में सुधार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियां पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूरक के रूप में काम कर सकती हैं। मानव जीवन पर आनुवंशिक कारकों के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

एक अध्ययन में यूके बायोबैंक में 353,742 लोगों को शामिल किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले लोगों में कम आनुवंशिक जोखिम वाले लोगों की तुलना में समय से पहले मृत्यु का खतरा 21 प्रतिशत अधिक होता है, भले ही उनकी जीवनशैली कुछ भी हो। इस बीच, चीन में झेजियांग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन और एडिनबरा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली वाले लोगों में जल्दी मौत की संभावना 78 प्रतिशत बढ़ जाती है, भले ही आनुवंशिक जोखिम जो भी हो। अध्ययन में कहा गया है कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली और कम जीवनकाल के जीन वाले लोगों में भाग्यशाली जीनों और स्वस्थ जीवनशैली वाले लोगों की तुलना में समय पूर्व मौत का खतरा दोगुना हो जाता है।

हालांकि, शोधकर्ताओं ने पाया कि कम उम्र या समय से पहले मौत के आनुवंशिक जोखिम को स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर लगभग 62 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। उनका कहना है कि उच्च आनुवंशिक जोखिम वाले लोग स्वस्थ जीवनशैली के साथ 40 वर्ष की आयु में लगभग 5.22 वर्ष की जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं। लंबे जीवन के लिए आदर्श जीवनशैली में धूम्रपान न करना, नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और स्वस्थ आहार शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में औसतन 13 वर्षों तक लोगों का अनुसरण करने के बाद अपने निष्कर्ष निकाले हैं। विश्व कैंसर अनुसंधान कोष में स्वास्थ्य सूचना और प्रचार प्रबंधक मैट लैम्बर्ट ने कहा कि इस नए शोध से पता चलता है कि आनुवंशिक कारकों के बावजूद स्वस्थ जीवनशैली जीने से हमें लंबे समय तक जीने में मदद मिल सकती है।

एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि व्यायाम के कारण शरीर के भीतर होने वाली प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा जटिल और दूरगामी होती है। अमेरिका के वैज्ञानिकों के नए अध्ययन में पता लगाया है कि शारीरिक गतिविधियों के कारण जानवरों के सभी 19 अंगों में कई तरह के कोशिकीय और आणविक परिवर्तन होते हैं। व्यायाम कई बीमारियों के खतरे को कम करता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि व्यायाम शरीर को आणविक स्तर पर कैसे बदलता है। अधिकांश पिछले अध्ययनों ने एक ही अंग या लिंग पर ध्यान केंद्रित किया और इनमें सिर्फ एक या दो तरह के डेटा शामिल किए किए।

व्यायाम के जीव विज्ञान पर अधिक व्यापक नजर डालने के लिए अमेरिका के मॉलिक्यूलर ट्रांसड्यूसर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कंसोर्टियम के वैज्ञानिकों ने चूहों में शारीरिक गतिविधि से होने वाले आणविक परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशाला में तकनीकों की एक शृंखला का उपयोग किया। ये चूहे कई हफ्तों तक गहन व्यायाम के दौर से गुजरे थे। वैज्ञानिकों के दल ने जानवरों के हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ों जैसे अंगों के ऊतकों की एक शृंखला का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि प्रत्येक अंग व्यायाम के साथ बदलाव देखा गया। इससे शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने और तनाव का जवाब देने में मदद मिली।

चचेरी बहन से करना चाहता था दूसरा निकाह, विरोध करने पर पिता को सिलबट्टे से मार डाला

संवाददाता—गोण्डा। जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के राजापुर अयोध्यापुरवा के रहने वाले बुजुर्ग किसान सरफराज की हत्या उनके बेटे ने ही सिलबट्टे से वारकर की थी। बेटा रिजवान अपने चाचा की बेटी से निकाह करना चाहता था, वह पहले से शादीशुदा था। इसलिए उसके पिता इस शादी का विरोध कर रहे थे। वारदात की रात शादी की बात को लेकर पिता—पुत्र में झगड़ा होने लगा। पिता के विरोध से गुस्साए रिजवान खून का रिश्ता भूल गया और पिता की सिलबट्टे से वारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर इसका खुलासा किया है। पुलिस ने रक्तरंजित सिलबट्टा बरामद किया है। गांव के बुजुर्ग किसान सरफराज (70) पर शनिवार की रात हमला किया गया था। उन्हें मरणासन्न हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बेटे रिजवान ने अपने चाचा अजमतउल्लाह समेत तीन लोगों पर पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि सरफराज की पत्नी अक्लीमुन्निशा और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिजवान पहले से शादीशुदा था, इसके बावजूद वह अपने चाचा अजमतउल्लाह की बेटी से निकाह करना चाहता था। मगर रिजवान के पिता सरफराज इसका विरोध कर रहे थे। इससे पिता पुत्र में अक्सर झगड़ा होता था। वारदात की रात भी रिजवान अपने पिता सरफराज के पास पहुंचा और हर हाल में चाचा की बेटी से निकाह करने पर अड़ा था। पिता ने विरोध किया तो दोनों की बीच झगड़ा होने लगा। गुस्साए रिजवान ने सिलबट्टा से वारकर पिता को मरणासन्न कर दिया था। सरफराज को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद अजमतउल्ला को फंसाने के इरादे से पुलिस को गुमराह करता रहा। परिवार वालों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रिजवान को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बताया कि उसके वालिद चचेरी बहन से होने वाले निकाह का विरोध कर रहे थे। शनिवार की रात उनसे झगड़ा हुआ था। सिलबट्टे से वारकर उनकी हत्या कर दी और आलाकत्ल घर में ही छिपा दिया। एसपी ने बताया कि रिजवान की निशानदेही पर सिलबट्टा बरामद कर लिया गया है।

गैस लीकेज से लगी आग में तीन घर राख, चाचा—भतीजी झुलसे

संवाददाता—श्रावस्ती। गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय पाइप में लीकेज होने से आग लग गई। देखते ही देखते दो घर जलकर राख हो गए वहीं आग की चपेट में आकर चाचा व भतीजी गंभीररूप से झुलस गए। जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया जहां से उन्हें ट्रामा सेन्टर बहराइच रेफर कर दिया गया। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कथरामाफी के मजरा सलारू पुरवा गांव में रविवार रात चन्द्रिका प्रसाद पुत्र तीरथ राम की पत्नी चंद्रावती घर में गैस चूल्हे पर भोजन बना रही थी। इस दौरान चूल्हे से जुड़े गैस पाइप में लीकेज था और पाइप से गैस का रिसाव हो रहा था। जिससे अचानक पाइप में आग लग गई। गैस के कारण ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी और आग ने खपरैल मकान को पकड़ लिया तथा मकान धूं धूं कर जलने लगा। आग की चपेट में आने से पास में ही सो रही छह वर्षीय बालिका नैन्शी पुत्री विजय राज यादव व चन्द्रिका प्रसाद गंभीररूप से झुलस गए। लोगों की ओर से आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इस पर फायर यूनिट से पहुंचे चालक शत्रुघन यादव व फायर मैन दीपक अवस्थी, संजय कुमार ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक चन्द्रिका के साथ ही बगल के दो अन्य घर भी जलकर राख हो गए। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे मल्हीपुर थानाध्यक्ष जयहरि मिश्रा ने एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हीपुर भिजवाया। जहां हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कालेज बहराइच रेफर कर दिया।

भाजपा विधायक की फोटो लगाकर की सपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील, मुकदमा दर्ज

संवाददाता—गोण्डा। शातिर जालसाजों ने पहले श्तरबगंज की आवाजश के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरबगंज विधायक प्रेमनरायन पांडेय की कवर में फोटो लगाकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी कर दी। आरोप है कि कई भड़काऊ पोस्ट भी किए गए हैं। तरबगंज पुलिस ने इस मामले में विधायक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की है। जिले में आगामी 20 मई को लोकसभा की गोंडा व कैसरगंज सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच तरबगंज विधायक ने गंभीर आरोपों में पुलिस से शिकायत की है। विधायक प्रेमनरायन पांडेय का आरोप है कि अज्ञात शातिरों ने फेसबुक अकाउंट पर श्तरबगंज की आवाजश के नाम से प्रोफाइल बनाया। इसके बाद उनकी फोटो का इस्तेमाल कर सपा प्रत्याशी भगतराम मिश्र के पक्ष में मतदान की अपील की है। सोशल मीडिया अकाउंट पर सपा प्रत्याशी भगतराम मिश्र की फोटो भी लगाई गई है। आरोप है कि कई भड़काऊ पोस्ट भी किए गए हैं। अज्ञात आरोपियों की ओर से भाजपा विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में विधायक ने थाने पर तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक समशेर बहादुर सिंह ने बताया कि विधायक की तहरीर पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ जालसाजी, झूठा प्रचार करने व आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। तरबगंज विधायक प्रेमनरायन पांडेय का आरोप है कि उनकी व पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।

तरबगंज की आवाज के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी भगतराम मिश्र के पक्ष में वोट करने की अपील करने मामले में विधायक तरबगंज प्रेमनरायन पांडेय ने सफाई दी है। विधायक ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है...श्तरबगंज की आवाजश के नाम से मुझे व भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए भ्रामक पोस्ट करने का मामला संज्ञान में आने पर थाना तरबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी व प्रिय भतीजे करण भूषण को प्रचंड मतों से कमल खिलाकर विजयी बनाएं।

दसवीं में सिद्धिता सिंह व बारहवीं में अनुष्का गुप्ता ने दिखाई मेधा

संवाददाता—बलरामपुर। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मेधावी खुशी से झूम उठे। इस बार सीबीएससी हाई स्कूल में जहां सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सिद्धिता सिंह ने 98.4 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। वहीं बारहवीं में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा अनुष्का गुप्ता ने 95.6 प्रतिशत अंक लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जिले में ओवरऑल हाई स्कूल में टॉप फाइव में जहां सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहा वही इंटर मीडियट में जवाहर नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय व सेंट जेवियर्स के साथ पायनियर पब्लिक स्कूल का दबदबा होने का दावा किया जा रहा है। सीबीएसई हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में सेंट जेवियर एवं जवाहर नवोदय विद्यालय का दबदबा कायम रहा है। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इंटर के जवाहर नवोदय की अनुष्का गुप्ता जेएनवी 95.6, अंश गुप्ता केन्द्रीय विद्यालय 94.6, त्रिषा जैन सेंट जेवियर 94.6, प्रज्ञा सिंह सेंट जेवियर 94.2, शौर्यवीर शुक्ल सेंट जेवियर 92.6, हर्षिता मिश्रा केन्द्रीय विद्यालय 92.6, आकांक्षा मिश्रा केन्द्रीय विद्यालय 92.2, नेहा जेएनवी 92, प्रियांशी तिवारी जेएनवी 91.6 व आंसरा हसन सेंट जेवियर के 91.0 प्रतिशत अंक हासिल कर मान बढ़ाया है। इसी तरह हाई स्कूल में सिद्धिता सिंह सेंट जेवियर 98.4, अंश अलंकार केवी 97.2, साइना सेंट जेवियर 97.2, हिमेश पटेल सेंट जेवियर 97, अदिति सोनी सेंट जेवियर 96.8, अनामिका सेंट जेवियर 96.8, सिद्धांत पाण्डेय सेंट जेवियर 96.8, अंशिका सेंट जेवियर 96.4, आयुषी पाण्डेय सेंट जेवियर 96.4 व प्रतीक सिंह सेंट जेवियर 96.2 प्रतिशत अंक लाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होते ही जहां मेधावियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, वहीं उनके अरमानों के पंख को भी उड़ान भरने का अवसर मिला है। सेंट जेवियर हाई स्कूल की छात्रा सिद्धिता सिंह कुशल डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता—पिता व परिवार सहित विद्यालय प्रिंसिपल एवं शिक्षकों को दिया है। उनका कहना है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कड़ी मेहनत निश्चय ही लक्ष्य को हासिल करने का अवसर देती है। टॉप टेन में द्वितीय स्थान पर शामिल केन्द्रीय विद्यालय के छात्र अंश अलंकार ने आईएएस बनकर जिले एवं देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह हाई स्कूल का लक्ष्य हासिल किया है, उसी तरह से इंटर का लक्ष्य हासिल कर सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी की जाएगी। उन्होंने सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों व कुशल प्रबंधन के लिए प्रबंध तंत्र एवं माता—पिता को दिया है। वहीं टॉपर के तीसरे स्थान सेंट जेवियर की साइना की मानें तो वह एमबीबीएस परीक्षा पास कर कुशल डॉक्टर बनकर समाज सेवा करना चाहती हैं।

सीबीएसई बारहवीं बोर्ड परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा अनुष्का गुप्ता ने 95.6 प्रतिशत अंक हासिल कर जिला टॉप किया है। वह सिविल सर्विसेस की तैयार कर आईएएस बनकर देश व समाज की सेवा करना चाहती हैं। इस सफलता का श्रेय पिता संदीप गुप्ता एवं माता मधुलिका गुप्ता सहित विद्यालय शिक्षकों को दिया है। कम से कम आठ घंटे नियमित रूप से पढ़ाई करने के लिए अपने साथियों से अपील किया है। जिले में दूसरे स्थान रही प्रज्ञा सिंह व शौर्यवीर शुक्ला सिविल सर्विस की तैयार कर आईएस बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता—पिता व शिक्षकों को दिया है। इसी तरह जिले में तीसरे स्थान पर रही अंशरा हसन मेडिकल के क्षेत्र में सफलता हासिल कर समाज सेवा करना चाहती हैं।

जिले में सीबीएससी बोर्ड परीक्षा का परिणाम लगभग शत प्रतिशत रहा है। जनपद में सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल आशिम रूमी एवं प्रबंधक सुयस कुमार आनंद ने परीक्षा परिणाम को बच्चों के अनुकूल बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों की तैयारी रही है उसके अनुरूप उन्हें अंक मिले हैं। उन्होंने सभी छात्रों को मेहनत कर आगे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रधानाचार्य गीता मिश्रा एवं केन्द्रीय विद्यालय प्रधानाचार्य वीरेन्द्र सिंह तथा पायनियर पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डा. एमपी तिवारी ने कहा कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम बच्चों के अनुकूल हैं। उन्होंने मेधावी छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेंशा प्रेरित किया है। साथ ही उन बच्चों को भी प्रेरित किया जो किसी कारण बस टॉपर सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें आगे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वहीं एमजे एक्टिविटी इंटर कॉलेज प्रिंसिपल हिमांशु धर द्विवेदी एवं प्रबंधक समीर रिजवी ने कहा कि इस बार बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से बच्चों की तैयारी हुई थी उसी के अनुरूप उनको अंक मिले हैं। बच्चों की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने सभी बच्चों को आगे का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी इंटर कॉलेज तुलसीपुर के प्रिंसिपल डा. डीपी सिंह ने संयुक्त रूप से सभी मेधावियों को बधाई देते हुए सफल छात्रों को उनसे सीख लेते हुए लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही परीक्षा परिणाम में कम अथवा अधिक अंक पाने के मामले को लेकर चिंतित न होते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

अपने अंतिम पड़ाव मखौड़ा धाम पहुंचने वाली है 84 कोसी परिक्रमा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। श्रीसदगुरू कृपा मंडल के तत्वाधान में आयोजित अयोध्याधाम 84 कोसी परिक्रमा में जय श्रीराम के गगनभेदी उद्घोष संग परिक्रमार्थियों का जत्था आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आस्था की डगर पर हजारों परिक्रमार्थियों के कदम बढ़ चले थे और धीरे—धीरे वह अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए मखौड़ा धाम पर पहुंचने वाले हैं।श्रीसदगुरू कृपा मंडल अयोध्याधाम चौरासीकोसी परिक्रमा के संचालक स्वामी गयाशरण महाराज ने कहा कि अयोध्या धाम का कण कण पूज्य है। चौरासी कोस की परिक्रमा हमारी आस्था, श्रद्धा व भक्ति को समाहित कर समाज को एक सूत्र में बांधने का माध्यम है। चौरासी कोस की परिक्रमा से भक्तों का जीवन धन्य हो उठता है। लाखों वर्ष की प्राचीन परंपराओं को जीवंत करने वाले भक्तों की समर्पण और भक्ति को सदा नमन है। परिक्रमा में दिख रहा उत्साह भक्ति हमें पूर्वजों के संकल्प की सिद्धि को जीवंत रखने की प्रेरणा देता है। उत्साह और उमंग से यह परिक्रमा निकल रही है, जिसमें प्रतिवर्ष भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि अनंत काल से चली आ रही चौरासी कोसी परिक्रमा जीवन के कष्टों व्याधियों से मुक्त करा प्रभु चरणों में समर्पित होने का माध्यम है। वैशाख शुक्ल सप्तमी 14 मई को परिक्रमा पुनरू मखौड़ा धाम पहुंचेगी। उसके बाद जानकी नवमी की पूर्व संध्या पर चौरासी कोसी परिक्रमा अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगी। जहां जानकी नवमी के दिन सुबह रामकोट परिक्रमा, रामार्चा पूजन व संतों के भंडारे संग परिक्रमा का समापन हो जायेगा। इस दौरान संत रामभूषण दास, शत्रुघ्न सिन्हा, फौजी रामसेवक दास, संत रघुनाथ दास त्यागी आदि मौजूद रहे।

कोटे की दुकानों से आज से बंटेगा अनाज

संवाददाता—गोण्डा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कोटे की दुकानों से मई माह में राशन मंगलवार से बंटेगा। गरीबों को इस माह में 29 मई तक राशन मिलेगा। आयुक्त, खाद्य एवं रसद की ओर से जारी फरमान के मुताबिक अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल कुल मिलाकर 35 किलोग्राम राशन दिया जाना है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट दो किग्रा गेहं व तीन किग्रा चावल कुल मिलाकर पांच किग्रा राशन निशुल्क बांटा जाएगा। उचित दर विक्रेताओं कोटे की दुकानें इस दौरान रोजाना सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुली रहेंगी। नोडल अधिकारी इन कोटे की दुकानों पर व्यक्तिगत रुप से मौजूद रहकर राशन का वितरण कराएंगे। डीएम नेहा शर्मा की ओर से इसके लिये कड़े फरमान जारी किए गए हैं। प्रत्येक नौ—दस दुकानों पर ब्लाक, तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों को नियत तिथियों में नोडल अधिकारी नामित करते हुए भ्रमणशील रहते हुए राशन का वितरण कराएं।

चार सौ पार का लक्ष्य होगा पूरा —पंडित कल्किराम

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या।धर्म नगरी श्री अयोध्या में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीजी के निमित्त वर्ष 2014 से चल रहे धार्मिक महानुष्ठान की सफलता हेतु दैवीय प्रेरणा से मेंहदीपुर बालाजी सरकार और एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्ध स्थली का दर्शन पूजन कर आशिर्वाद प्राप्त कर श्री अयोध्या जी पहुंचकर पौराणिक महत्त्व के सिद्ध श्री टेढ़ीयतिश्वरनाथ महादेवजी का पंचामृत अभिषेक कर पुनः यज्ञाहुती का शुभारम्भ किया गया विदित हो कि प्रधानमन्त्री मोदीजी के निमित्त चल रहे महायज्ञ में लगातार दी जा रही आहुति से दाहिने हाथ की कलाई की नसों में हुए खिंचाव की असहनीय पीड़ा भी बनी हुई है चिकित्सकों ने आराम करने की सलाह दी है इसके बावजूद भी अनुष्ठान का कर्म कहीं से भी प्रभावित नही है।जानकारी देते हुए अनुष्ठान कर रहे रामादल ट्रस्ट अध्यक्ष पण्डित कल्कि राम ने बताया की वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सनातन समाज की एकजुटता का प्रदर्शन पुरी दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा और अक्षय तृतीया 2023में अबकिबार400पार का उदघोष करते हुए बगला ब्रह्मास्त्र महायज्ञ का श्रीगणेश किया गया था आज वही उदघोष पूरे देश में गुंजायमान है जिसके चरितार्थ होने का समय आ चुका है। आलस्य का परित्याग कर सनातनी भाई बहनों को चाहिए कि भावी पीढ़ी के स्वर्णिम सुरक्षित भविष्य के प्रयासों को सशक्त बनाने हेतु आपसी मतभेद दरकिनार कर ऐतिहासिक एकजुटता के साथ मतदान करें। देश के विभिन्न राज्यों में रामादल परिवार के सदस्य अपने अभियान पर पूरी जिम्मेदारी के साथ जुटे हुए हैं। तीसरी बार प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने के बाद रामादल ट्रस्ट धर्म नगरी में दुनिया के पहले स्वर्ण निर्मित शिवलिंग की स्थापना के मिशन पर अग्रसर होगा।

नवाबगंज में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान

संवाददाता—गोण्डा। थानाक्षेत्र के साकीपुर गांव में सोमवार की सुबह एक विवाहिता ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना के सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।

साकीपुर गांव के लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू की पत्नी शमा (23) का शव उसके कमरे में दुपट्टे के फंदे से लटकता मिला। घटना के समय घर पर कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। घर से थोड़ी दूर पर पति ने गेहूं पीसने की चक्की लगा रखी है। सास—ससुर समेत पूरा परिवार वहीं रहते हैं। पति भी वहीं था। सास किसी काम से घर में आई तो बहू को दुपट्टे से झूलते देखा। उसने परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी। सबके आते ही घर में चीख पुकार मच गयी। मृतका की एक डेढ़ वर्ष की बच्ची भी है। घटना के सूचना पर पहुंचे मृतका के मायके वालों ने दामाद व उनके पूरे परिवार के विरूद्ध पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते पति , सास ससुर और ननदो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही सभी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। मनकापुर के देवियापारा निवासी मृतका के पिता समसुद्दीन ने बताया कि उनके छह बेटियां हैं। चौथी बेटी शमा का विवाह उन्होंने पांच दिसम्बर 2021 में लाल मोहम्मद के साथ किया था। शादी के बाद से दहेज की मांग को लेकर पति व उसकी बहनें आए दिन उसे परेशान किया करते थे। इससे आजिज आकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज राय ने बताया की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना सीओ तरबगंज करेंगे।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ठाकुर राम जानकी का प्राणप्रतिष्ठा महोत्सव

—भारतीय बस्ती संवाददाता—

अयोध्या। श्री राम नगरी के मां सरयू के तट पर स्थित स्वर्गद्वार मोहल्ले के नया मंदिर शीश महल के ठाकुर श्री राम जानकी जू सरकार का 33वां प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत रामलोचन शरण राजन बाबा के संयोजन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया नवीन वस्त्र धारण कराकर विधिवत श्रृंगार किया गया वैदिक विद्वानों द्वारा ठाकुर जी की स्तुति कर आरती उतारी गई। ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर नया मंदिर शीश महल में अयोध्या के संत महंत भी इस अवसर पर उपस्थित रहे सभी ने ठाकुर जी की अस्तुति की और प्रसाद पाया। राजन बाबा ने बताया कि यह बहुत ही पुराना स्थान है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि पर मंदिर में विराजमान भगवान श्रीसीताराम का प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी तिथि पर मठ में भगवान की प्राण—प्रतिष्ठा हुई थी। तब से प्रति वर्ष ठाकुरजी का पाटोत्सव मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार भी वर्षगांठ महोत्सव मना, जिसमें रामनगरी के सभी संत—महंत सम्मिलित हुए। साथ ही भगवान के पाटोत्सव का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास, श्रीरामवल्लभाकुंज अधिकारी स्वामी राजकुमार दास, जगद्गुरु परमहंसाचार्य, खाकचौक श्रीमहंत बृजमोहन दास, रामहर्षण कुंज के महंत अयोध्या दास, जानकीकुंज महंत वीरेंद्र दास, महंत प्रियाप्रीतम शरण, महंत प्रियाशरण, महंत राकेश शरण, महंत रामप्रिया शरण, महंत रामप्रवेश दास, महंत लड्डू दास, नागा रामलखन दास, महंत किशोरी शरण, महंत राममिलन दास, महंत गिरीश दास, महंत अवनीश दास, महंत रामनारायण दास, महंत अर्जुन दास, महंत अंजनी शरण, महंत सियाराम शरण, महंत अर्जुन दास, महंत रामानुज शरण, महंत पवनकुमार दास, महंत हरिचरण दास शास्त्री, महंत उत्तम दास, विद्याभूषण शरण, अंबरीश शरण, सुमित शरण, हिंदूमहासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष पांडेय, हिंदूवादी नेता संतोष दूबे, रविशंकर पांडेय, चंद्रहास दीक्षित समेत मंदिर के शिष्य—परिकर, अनुयायी उपस्थित रहे।

रेलवे कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर में चोरों ने मचाया उत्पात, की तोड़फोड़

संवाददाता—देवरिया। नगर के उत्तरी रेलवे कॉलोनी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में रविवार की रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रतिमाओं में लगे जेवरात आदि चोरी करने के बाद विग्रह को भी खंडित कर दिया। चोरों के उत्पात से लोगों में काफी आक्रोश है। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। नगर के उत्तरी रेलवे कॉलोनी में दुर्गा मंदिर स्थित है। यहां रहने वाले आस पास के लोग जय मां दुर्गा सेवा समिति बनाकर यहां की देखरेख करते हैं। हरिकीर्तन मुहल्ला स्थित अंकित पाण्डेय का परिवार पूजा पाठ करता है। रविवार की सुबह पूजा के लिए मंदिर का शटर खोलने पर क्षत विक्षत प्रतिमाओं को देखकर पुजारी ने घटना की सूचना आस पास के लोगों को दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि मंदिर में स्थापित दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, शेर, धनुष, त्रिशूल आदि प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया था। दान पेटी तोड़कर भी चोर पैसा लेकर फरार हो गए थे। पीछे के दरवाजे से ताला तोड़कर अन्दर घुसे चोरों ने पूरे मंदिर में जमकर उत्पात मचाया । चोरों ने प्रतिमाओं को पहनाये गए सभी जेवरात पर भी हाथ साफ कर दिया है। हालांकि समिति के अनुसार कोई भी जेवरात सोने चांदी के नहीं थे। उपद्रवियों की ओर से किए गए इस घटना से क्षेत्रीयजनों में काफी आक्रोश है। नाराज श्रद्धालुओं ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरु कर दी है। क्षेत्रीय जनों का आरोप है कि स्थानीय माहौल को बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है।

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

संवाददाता—बलरामपुर। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पिता ने दहेज हत्या का केस दर्ज कराया है। विवाहिता के पति, सास, ससुर, जेठ व जेठानी सहित छह लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पिता का आरोप है कि उसकी पुत्री को दहेज के लिए ससुरालीजन लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आरोप है कि सोमवार सुबह पांच बजे उसकी हत्या कर शव को छत के कुंडे से लटका दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

रेहरा बाजार निवासी विनय कुमार ने बताया कि उनकी पुत्री अंकिता गुप्ता का विवाह वर्ष 2021 में गैंड़ास बुजुर्ग के महुआ बाजार निवासी शिवम कुमार गुप्ता पुत्र रामरूप गुप्ता के साथ किया था। ससुरालीजन आए दिन उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि उसे दहेज को लेकर मारा—पीटा गया। ससुरालीजन उसे लाकर माइके छोड़ गए थे। एक साल तक अंकिता अपने घर रही। किसी तरह समझौता करके अंकिता को उसके ससुराल भेजा गया था। ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। वह उसे दहेज के लिए बार—बार प्रताड़ित कर रहे थे। अंकिता ने इस बीच कई बार फोन करके प्रताड़ना की सूचना माइके वालों को दी थी। आरोप है कि सोमवार सुबह पांच बजे पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर ने मिलकर अंकिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए फांसी के फंदे से लटका दिया। ससुरालीजनों ने विनय कुमार पुत्री के मौत की सूचना नहीं थी। पड़ोसियों ने अंकिता के मौत की जानकारी विनय कुमार को दी। वह अंकिता के ससुराल पहुंचे तो उसकी लाश मिली। दिखावे के लिए ससुरालीजन दहाड़े मारकर रो रहे थे। विनय कुमार ने थाने पर सम्पर्क कर प्रार्थना—पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की छानबीन कर रही है। फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। विनय कुमार का कहना है कि अंकिता के पति व अन्य परिवारीजनों ने उसके छह माह के बेटे पर भी रहम नहीं किया। अंकिता को एक छह माह का बेटा है, जिसे लोग बाबू कहते हैं। विनय कुमार बोले कि पड़ोसियों ने बताया है कि बाबू उस समय गहरी नींद में सोया था। लोगों ने अंकिता की गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसे फांसी के फंदे से लटका दिया। विनय के मुताबिक अंकिता शिक्षित व सुलझे मानसिकता की थी। उसने कभी अपने घर पर किसी से कोई झगड़ा—लड़ाई नहीं की थी। आरोप है कि उसे दहेज के लिए मारा गया है। घटना के बाद अंकिता के पिता विनय कुमार व मां का रो—रोकर बुरा हाल है। विनय कुमार का कहना है कि बेटियां बेटों से कई मामलों में अच्छी होती हैं, लेकिन इसी दिन के लिए हर पिता डरता है। उसकी बेटी अंकिता झगड़ालू नहीं थी। शिवम उसे अक्सर गालियां देता था। सभी ने मिलकर सोमवार सुबह उसकी जान ले ली। अंकिता की मां रह—रहकर बेहोश हो जाती है। विनय की आंखों के आंसू सूख चुके हैं। प्रभारी निरीक्षक दुर्विजय चौधरी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की छानबीन की जा रही।

पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, तेज धमाके से सहमें लोग, मालिक का बेटा झुलसा

संवाददाता—गोरखपुर। पिपराइच इलाके के जंगल धूसड़ में सोमवार की सुबह नौ बजे पटाखा फैक्टरी में तेज धमाके के साथ भीषण आग लग गई। धमाका होते ही फैक्टरी की छत उड़ने के साथ दीवार गिर गई। पूरी फैक्टरी आग की लपटों में घिर गई। यहां काम करने वाला अन्य कारीगर व महिलाएं ने किसी तरह भागकर जान बचाई। वहीं फैक्टरी संचालक का बेटा, घटना का कारण समझने दूसरे कमरे की तरफ गया, जहां गंभीर रूप से झुलस गया। घटना की सूचना मिलते ही पिपराइच पुलिस और फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस घटना की वजह जानने के लिए जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, पिपराइच इलाके के हसनगंज निवासी अब्बास अली की घर से थोड़ी दूर जंगल धूसड़ में जमीन और मकान है। वह शहर के तिवारीपुर इलाके के इलाहीबाग निवासी अब्दुल्ला को किराए पर दिये है। अब्दुल्ला 16 वर्षों से बुढ़ऊ चाचा के नाम से पटाखा की फैक्टरी चलाते हैं। फैक्टरी की देखभाल उनका बेटा मेराज करता है। सोमवार की सुबह नौ बजे मेराज पहुंचा और कुछ महिलाओं के साथ टीन शेड के कमरे में पटाखा बनाना शुरू किया। इसी दौरान बगल में पटाखा रखे कमरे में विस्फोट होने लगा। मेराज पहुंचा और दरवाजा खोला तो आग की चपेट में आने से जख्मी हो गया।

जबकि, काम कर रही महिलाएं और वहां से दूर भाग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया है। फायर ब्रिगेड की टीम लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पटाखा फैक्टरी में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आग कैसे लगी, इसके कारण का पता लगाया जा रहा है।

10वीं में अगस्त्य, 12 वीं में साक्षी सिंह को मिले सर्वाधिक अंक

संवाददाता—गोरखपुर। सीबीएसई ने सोमवार को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया। हाई स्कूल में आरपीएम के अगस्त्य चौधरी को जिले में सर्वाधिक 97.6 परसेंट नंबर मिले, जबकि 12 वीं आरपीएम ग्रीन सिटी की साक्षी सिंह को सर्वाधिक 97.4 परसेंट नंबर मिले। रिजल्ट निकलने के बाद स्कूलों में सफल छात्रों को सम्मानित कर गुरुजनों ने मिठाई खिलाई। इसी तरह सभी स्कूलों में उत्साह का माहौल रहा।

हिंदी बाजार के बड़े सराफा व्यापारी पर दर्ज होगा फर्जी बैनामा का मुकदमा

संवाददाता—गोरखपुर। हिंदी बाजार के एक बड़े सराफा व्यापारी और परिवार के सदस्यों पर फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। पीड़ित का आरोप है कि फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर जमीन और मकान का बैनामा करा लिया गया। फर्जी बैनामे की जांच में गोपनीय तरीके से जिले के एक पुलिस अधिकारी की तरफ से की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को पुलिस ने दरकिनार कर दिया। तब पीड़िता ने सभी प्रपत्रों के साथ न्यायालय की शरण ली। प्रार्थनापत्र की सुनवाई करते हुए एसीजेएम ज्ञानेंद्र कुमार द्वितीय ने कोतवाली थाने को एक सप्ताह के भीतर केस दर्ज कर न्यायालय को सूचना देने का आदेश जारी किया है। कोतवाली इलाके के पुर्दिलपुर की रहने वाली शर्मिला घोष ने बताया कि उनके बाबा खगेंद्र नाथ घोष ने 1938 में घर बनवाया था। पूर्वजों की मौत के बाद शर्मिला घोष का नाम भवन पर दर्ज चला आ रहा है। शर्मिला का आरोप है कि उनके 1402 वर्ग फीट मकान और 5000 वर्ग फीट खाली जमीन को हड़पने के लिए सराफा परिवार ने फर्जी व्यक्ति खड़ा कर 31 मई 1996 में कूटरचित रजिस्ट्री बैनामा करवा लिया। फर्जी बैनामा के आधार पर पुश्तैनी मकान पर मिलीभगत कर नगर निगम में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। अवैध रुप से कागजों में नाम चढ़वाने के बाद आरोपियों की तरफ से आए दिन विधिविरुद्ध तरीके से बेदखल कर पीड़िता के भवन व जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी जाती है। न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र के माध्यम से पीड़िता ने बताया कि इस मामले में उनकी तरफ से 15 दिसंबर 2022 को एसएसपी को आईजीआरएस कर शिकायत की गई थी।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 /2024
धारा 24 उ0प्र0भू0रा0अधि0 2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
बरखू आदि
बनाम
ग्राम पंचायत आदि

1. राम प्रसाद पुत्र सगरू 2. शिव प्रसाद पुत्र लखन 3. गोवर्धन पुत्र लखन 4. श्रीमती पानपती पत्नी लखन 5. पंचम पुत्र भगेलू 6. राज कुमार पुत्र लखन 7. राकेश पुत्र लखन 8. कुबेर पुत्र निहू 9. दुक्खी पुत्र निहू 10. मनोज पुत्र शिव प्रसाद उर्फ वीरवल 11. प्रदीप कुमार पुत्र शिव प्रसाद उर्फ वीरबल 12. संदीप ना0 पुत्र शिव प्रसाद उर्फ वीरबल संरक्षिका श्रीमती नेवाती 13. जगदीश ना0 पुत्र शिव प्रसाद उर्फ वीरबल संरक्षिका श्रीमती नेवाती 14. श्रीमती नेवाती पत्नी शिव प्रसाद उर्फ वीरबल साकिनान मौजा समोगरा तप्पा कुदारन परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 28–05–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 28 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 10 माह 05 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 1023
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी बांसी जिला–सिद्धार्थनगर
श्रीमती राजकुमारी
बनाम
विश्वम्भर आदि

1. विश्वम्भर 2. दूधनाथ 3. दिनेश 4. रामदेव पुत्रगण कंचन 5. श्रीमती अनारी पत्नी दीनानाथ 6. साजन 7. लवकुश पुत्रगण दीनानाथ 8. पल्टूराम 9. ब्रम्हदेव 10. धुपई 11. चन्द्रिका प्रसाद पुत्रगण सोमन निवासी ग्राम डुमरिया तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला–सिद्धार्थनगर 12. अम्बिका पुत्र रमेसर 13. मनोज 14. राधेश्याम 15. कृष्णा पुत्रगण राजेन्द्र प्रसाद 16. श्रीमती विन्द्रावती पुत्री भूलन पत्नी लाले निवासीगण ग्राम हाल बुढ़िया पोस्ट डुमरिया बजुर्ग तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष

17. ग्राम पंचायत दुलही द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत दुलही तप्पा हाटा परगना बांसी पूरब तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर 18. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

तारीख पेशी 21–05–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 21 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 10 माह 05 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 C 202017140305684
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय (न्यायिक) बस्ती जिला बस्ती
फूलचन्द्र
बनाम
जयन्त्री प्रसाद आदि

1. जयन्त्री प्रसाद पुत्र झिनकान 2. श्रीमती गिरजा देवी पत्नी विश्वनाथ 3. अमित कुमार 4. दुर्गेश 5. उमेश 6. प्रवेश पुत्रगण विश्वनाथ 7. चैतू पुत्र रामनरायन 8. धमेन्द्र पुत्र राम शंकर 9. श्रीमती जुगुरा पत्नी रामवरन 10. श्रीमती शोभा पत्नी हरिश्चन्द्र 11. श्रीमती मधू पत्नी जय चौधरी 12. कु0 विट्टू नावालिग पुत्री जय चौधरी वव्लायत माता श्रीमती मधू 13. मोनू 14. टोनू 15. अरविन्द पुत्रगण हरिश्चन्द्र 16. कु0 ममता पुत्री हरिश्चन्द्र 17. श्रीमती इन्दूमती पत्नी धुवचन्द्र 18. अजय पुत्र धुवचन्द्र 19. श्रीमती चन्द्रकान्ती पत्नी राम प्रकाश 20. श्रीमती सीतापति पत्नी रामशंकर निवासीगण ग्राम श्रीपालपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती 21. ग्राम पंचायत श्रीपालपुर द्वारा प्रधान शीला देवी निवासी ग्राम श्रीपालपुर तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 15–05–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 04 माह 05 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0
धारा 144/134 उ0प्र0रा0स0 2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हर्रैया जिला बस्ती
देवीदीन मिश्रा आदि
बनाम
ओम प्रकाश आदि

1. ओम प्रकाश पुत्र राममिलन 2. राकेश कुमार मिश्रा पुत्र राजेश्वरी प्रसाद 3. अशोक कुमार मिश्रा पुत्र राजेश्वरी प्रसाद 4. शत्रुघन मिश्रा पुत्र हनुमान प्रसाद मिश्रा 5. श्रीमती कुसुम मिश्रा पत्नी देवी प्रसाद 6. सन्तोष कुमार मिश्रा 7. विकास कुमार मिश्रा 8. लवकुश मिश्रा पुत्रगण देवी प्रसाद 9. सुनैना मिश्रा 10. अपराजिता मिश्रा पुत्रीगण देवी प्रसाद (अविवाहिता पुत्री) साकिनान लोलपुर लमती परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जिला गोण्डा 11. लालचन्द्र चौधरी पुत्र रामकृपाल चौधरी निवासी ग्राम बसडीला पोस्ट सिहारी सरहदा तहसील भानपुर जिला–बस्ती 12. अवधेश कुमार पुत्र जगदेव निवासी ग्राम धुनियाभीटी तप्पा बनगवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 13. घनश्याम वर्मा पुत्र हरीराम वर्मा निवासी शीतलगंज तहसील मनकापुर जिला–गोण्डा 14. अन्नू पुत्र रूप नरायन निवासी लक्ष्मनपुर (गौरिया) पोस्ट रघुराजनगर परगना नवाबगंज तहसील तरबगंज जिला–गोण्डा 15. ग्राम पंचायत परवरपारा जरिये प्रधान निवासी ग्राम परवरपारा तप्पा बेलवा तहसील हर्रैया जिला–बस्ती 16. सरकार उत्तर प्रदेश जरिये कलेक्टर महोदय बस्ती

तारीख पेशी 17–05–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 17 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 10 माह 05 सन 2024 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मस्सूखी डिसमिसी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान दशम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 126/2018
नूर मोहम्मद
बनाम
हिरावन आदि

2. जगदीश पुत्र हिरावन 3. किसमता पत्नी जगदीश साकिनान मौजा कपूरपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रैया जिला–बस्ती

(विपक्षीगण)

तारीख पेशी 12–07–2024

हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबूदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 12 माह 07 सन 2024 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबूदी की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

खड़गे की जनसभा से पहले कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामा

संवाददाता—गोरखपुर। गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंगलवार को जनसभा के पहले पूर्व सांसद कमाण्डो कमल किशोर ने बगावती तेवर दिखा कांग्रेस को सकते में डाल दिया। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन उनकी तैयारियों की जानकारी मिलते ही गोरखपुर में डेरा डाले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उत्तर प्रदेश पूर्वी जोन प्रभारी विधायक सत्य नारायण पटेल की अगुवाई में कई बड़े नेता कमाण्डो के आवास पर उन्हें मनाने पहुंचे। मुलाकात के बाद जहां सत्य नारायण पटेल ने दावा किया कि कमाण्डो कमल किशोर को मना लिया है। वही, कमाण्डो कमल किशोर ने हिन्दुस्तान को बताया कि वे उनकी कुछ शर्तें हैं, यदि उन पर फैसला नहीं लिया जाता है तो निर्दलीय नामांकन करेंगे। इंडिया गठबंधन में सीट बटवारे में बांसगांव लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में आई। यहां लम्बे समय से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैवारी कर रहे पूर्व सांसद कमाण्डो कमल किशोर, बसपा से कांग्रेस में आए सदल प्रसाद को टिकट दिए जाने का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। कौड़ीराम समेत बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में टिकट की घोषणा के बाद भी उनके पोस्टर चस्पा हो गए थे। कमाण्डो ने सोमवार को नामांकन पत्र मंगा कर उसे भरने के साथ जरूरी दस्तावेज जुटाने सुने कर दिए। इसकी सूचना मिलते ही उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्य नारायण पटेल, केशव चंद यादव, अमरेंद्र मल्ल, अवधेश सिंह, मनोज यादव, रामजी गिरि समेत कई नेता उनके आवास पहुंचे। जहां उन्होंने कमाण्डो कमल किशोर की दिवंगत पत्नी पूनम किशोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद बड़े ही सब्र के साथ कमाण्डो कमल किशोर की पीड़ा सुनी। कमाण्डो कमल किशोर ने सत्य नारायण पटेल से कहा कि वे कांग्रेस के सच्चे सिपाही है लेकिन उनके संघर्ष को दरकिनार कर बाहरी लोगों को चुनाव में टिकट दिया जाता है। ऐसे लोग चुनाव बाद पार्टी छोड़ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके प्रोफाइल के हिसाब से पार्टी में कोई दायित्व भी नहीं मिला। इस दौरान वे काफी भावुक भी दिखे।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बाबत इत्तिला तारीख मुकर्रेरह समायत अपील
वाद सं0 C 202017000000069
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (प्रशासन) बस्ती जिला–बस्ती
दीनानाथ आदि
बनाम
अशोक कुमार आदि

1. अशोक कुमार 2. संतोष कुमार पुत्रगण मनमोहन 5. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामअधार निवासीगण ग्राम पिपराजप्ती तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती 6. ग्राम पंचायत भिउरा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती

तारीख पेशी 17–05–2024

अपील बनराजी अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्टस

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 17 महीना 05 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानून आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्आलेह मुतवफ्फा (आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0 536/2018
राम अजोर
बनाम
मिठाई लाल आदि

1/1 श्रीमती रमपता आयु लगभग 70 वर्ष विधवा स्व0 मिठाईलाल 1/2 जिलाजीत आयु लगभग 45 वर्ष 1/3 रामजी आयु लगभग 40 वर्ष 1/4 पहलवान आयु लगभग 35 वर्ष पुत्रगण स्व0 मिठाईलाल साकिनान ग्राम श्रीपालपुर पोस्ट वाल्टरगंज तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरब तहसील व जिला–बस्ती

तारीख पेशी 27–05–2024

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाआलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाआलेह बनाये जांय।

लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 27 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबावदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा। बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 87/2023
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान–नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर
अख्तर खॉन
बनाम
जहाँगीर आदि

1. जहाँगीर 2. जाकिर 3. सुलेमान पुत्रगण स्व0 इंतजार खान सभी निवासीगण ग्राम केवटलिया बगही तप्पा भातिनपार परगना विनायकपुर तहसील नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 23–05–2024

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 23–05–2024 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
प्रकीर्णवाद सं0 551/2023
अदालत–श्रीमान समक्ष मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण महोदय जिला–बस्ती
शमीम बानो आदि
बनाम
रामदीन चौधरी

1. रामदीन चौधरी पुत्र राम आसरे चौधरी साकिन सुभावपुर भैरा थाना कलवारी तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 19–05–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 05 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज जो जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 233/2023
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) स्थान–नौगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर
मु0 युसुफ आदि
बनाम
अब्दुल मन्नान आदि

1. अब्दुल मन्नान उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र रोजन निवासी ग्राम व पोस्ट महरिया तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादी प्रथम पक्ष

2. मो0 शमीम उम्र 42 वर्ष पुत्र अज्ञात 3. श्रीमती तारबुन उर्फ तालबुन्निशा उम्र करीब 80 वर्ष पुत्री मृतक शाह मोहम्मद समस्त निवासी ग्राम पल्टा देवी पोस्ट रमवापुर तप्पा घोष परगना नौगढ़ तहसील शोहरतगढ़ जिला सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष

4. मु0 रफीक उम्र करीब 46 वर्ष 5. मु0 शरीफ उम्र करीब 42 वर्ष पुत्रगण मु0 युसुस समस्त निवासी ग्राम दुबौलिया पोस्ट उदयराजगंज तप्पा ऐखिन परगना नौगढ तहसील शोहरतगढ़ जिला–सिद्धार्थनगर

–प्रतिवादीगण तृतीय पक्ष

तारीख पेशी 02–07–2024

प्रतिवादी ने आपके विरूद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 02–07–2024 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश

प्रारूप सी–1

(समाचार पत्र, टी.वी. मे प्रकाशन हेतु अभ्यर्थियों के लिए)

आपराधिक मामलो के बारे में घोषणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं0 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितम्बर 2018 के निर्णय के अनुसार) (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य)
अभ्यर्थी का नाम और पता– हरीश चन्द्र पुत्र साधू शरण ग्राम व पोस्ट कटया जनपद बस्ती
राजनैतिक दल का नाम– भारतीय जनता पार्टी
(निर्दलीय अभ्यर्थी यहां ''निर्दलीय'' लिखे)
निर्वाचन का नाम– लोकसभा सामान्य 2024
निर्वाचन क्षेत्र का नाम– 61–बस्ती सामान्य
मै, हरीशचन्द्र (अभ्यर्थी का नाम), उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करता हूँ।

(क) लंबित आपराधिक मामले

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	मामले की संख्या एवं तारीख	मामले (मामलों) की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धारा (धाराएं) एवं अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण
1	C.J.M./विशेष न्यायालय M.P.M.L.A. बस्ती	53/19 दिनांक 13.05.2019	अन्तिम रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट/सुनवाई	147,323,504,506, I.P.C. नाजायज गोल इरादा मारना, गाली देना, धमकी देना
	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

(ख) आपराधिक मामलों के लिए दोषसिद्धि के मामलों के संबंध में विवरण

क्र. सं.	न्यायालय का नाम एवं आदेश (शो) की तारीख (खें)	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित दण्ड का विवरण	अधिकतम अधिरोपित दण्ड
	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

दैनिक भारतीय बस्ती
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्मुखी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406, ई.मेलbhartiyabasti@yahoo.com bhartiyabasti@gmail.com